न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 79/2022 ई.रे.

सुमित्रा देवी पत्नी जगदीशप्रसाद वैष्णव नि. बोहेडा तहसील बडीसादडी

– वादीया

बनाम

1– नारायणीबाई पत्नी माधवदास वैष्णव नि. बोहेड़ा तहसील बडीसादडी

2– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि.

वास्ते घोषणा

// निर्णय // दिनांक :– 26/09/2023

वादी की ओर सें प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बोहेडा पटवार हल्का बोहेडा में नई खाता संख्या 1097 पुरानी 1259 की आराजी नम्बर 507 रकबा 0.1800 हैक्ट. लगानी 2.34 पैसा स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादीया का 1/2 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं. 1 के पति स्व. माधवदास जी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादीया नं. 1 नारायणी बाई एवं स्व. श्री माधवदास जी के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं होने से वादीया सुमित्रादेवी पिछले करीब 20 वर्षो से उनकी सेवा चाकरी करती चली आ रही है, बीमारी में ईलाज करती चली आ रही है एवं उनके साथ में रहकर उनकी देखभाल करती चली आ रही है। वादीया सुमित्रा देवी के सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर प्रतिवादीया नं. 1 के पति श्री माधवदास जी ने उनकी गांव बोहेड़ा में स्थित समस्त अचल सम्पत्ति वादीया को दान कर दी तथा दान की गयी सभी सम्पत्ति पर वादीया को काबिज कर दिया। वादीया को दान में की गयी अन्य अचल सम्पत्ति मकान, आराजीयात के साथ में उपरोक्त आराजी नं. 507 भी वादीया को दान कर उसे काबिज कर दिया तथा स्व. माधवदास जी ने एक दानपत्र दिनांक 06.05.2019 को वादीया के पक्ष में निष्पादित कर उपपंजीयन कार्यालय बडीसादडी में पंजीयन करा दिया। तब से ही वादीया अन्य अचल सम्पत्ति के साथ उपरोक्त आराजी पर भी शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चल आ रही है। श्री माधवदास जी का स्वर्गवास दिनांक 23.10.2019 को हो चुका है उनके एकमात्र वारीस उनकी पत्नी नारायणी देवी प्रतिवादीया नं. 1 है इसके अलावा उनके विधिक वारीस या उत्तराधिकारी नहीं है । इसलिए नारायणीबाई को एकमात्र वारीस होने से प्रतिवादीया नं. 1 बनाया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा शेष 1/2 हक हिस्सा स्व. माधवदास जी वैष्णव के खातेदारी में दर्ज है। स्व. माधवदास जी के द्वारा किये गये पंजीकृत दानपत्र के आधार पर शेष 1/2 हक हिस्सा भी वादीया के खातेदारी में घोषित किया जाना न्यायोचित है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

बाद जाँच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड ई. रे. किया जाकर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया प्रतिवादीया नं. 1 कर ओर एस.एल. सालवी अधिवक्ता ने इकबालिया जवाब पेश किया प्रतिवादी नं. 2 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी । इकबालिया जवाब पेश किये जाने से तनकियात कायम नही कर सीधे ही साक्ष्य वादी ली गयी तथा साक्ष्य वादी में वादीया सुमित्रा देवी, रामेश्वरलाल के शपथ पत्र पेश हुये।

बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया । राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी अनुसार आराजीयात 507 रकबा 0.18 हैक्ट. भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा माधवदास जी के नाम दर्ज रिकोर्ड है। दान पत्र दिनांक 06.05.2019 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीया के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई थी। खातेदार माधवदास जी की मृत्यु हो जाने से दानपत्र की पालना नहीं हो पाई थी। माधवदास जी के कोई पुत्र व पुत्री नहीं होने से मात्र वारीस उनकी पत्नी होने से जिनकी तरफ से इकबालीया जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है जिनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होने से दान पत्र अनुसार घोषणा का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है

अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर मौजा बोहेडा पटवार हल्का बोहेडा तहसील बडीसादडी की आराजी नं. 507 रकबा 0.1800 हैक्ट. भूमि में प्रतिवादीया का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाकर वादीया के नाम राजस्व खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदअनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।
निर्णय आज दिनांक 26/09/2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दूबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

सहायक कलेक्टर (राज.) बड़ीसादड़ी (चित्तौड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested